अतारांकित प्रश्न क्र. 683 [22/7/2026] परिशिष्ट - अ

प्रश्न सं. [क्र. 683]

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भोपाल संभाग, भोपाल

क्रमांक / 140 / 2023 भोपाल, दिनांक 19.06.2023

विषयः सचिव एवं सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को परमिट आवेदनपत्रों का निराकरण करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन करने बाबत।

//संकल्प//

(दिनांक **19.06.2023** को पारित)

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आदेश क्रमांक एफ 01–20/ 2020/आठ भोपाल दिनांक 01.10.2020 एवं मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3004–949664–2022–आठ, दिनांक 14.06.2023 के परिपेक्ष्य में पूर्व में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा सचिव/सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रत्यायोजित शक्तियों के संकल्प को अतिशिष्ट करते हुए एवं इस संकल्प के पूर्व जारी संकल्प को निरस्त करते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (5) सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 67 के उप नियम (1) एवं नियम 64 (1) के अंतर्गत सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार भोपाल, नर्मदापुरम एवं सहायक सचिव रायसेन, राजगढ, सीहोर, विदिशा (भोपाल संभाग) एवं बैतुल, हरदा (नर्मदापुरम संभाग) को निम्नांकित शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है –

01 **सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार भोपाल एवं नर्मदापुरम को प्रत्यायोजन शक्तियां –**

A अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत मंजिली गाडी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण तथा मंजिली गाडी का अनुज्ञापत्र का अंतरण मंजूर करना, ना मंजूर करना। धारा 74 के अंतर्गत आटो रिक्शा के परमिट मंजूर करना, ना मंजूर करना।

B धारा 81 के अंतर्गत आटो रिक्शा के परमिट का नवीनीकरण किया जाना, धारा 82 के अंतर्गत परमिट का अंतरण किया जाना एवं धारा 83 के अंतर्गत परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन किया जाना।

C धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट सेवा यान का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

D धारा 79 के अधीन मालयान का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

E धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन मालयान का राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

F निजी सेवायान अनुज्ञापत्रों, मालयान अनुज्ञापत्रों एवं मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का धारा 81 के अधीन नवीनीकरण, धारा 82 के अंतर्गत अंतरण एवं धारा 83 के अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन किया जाना।

G यथास्थिति धारा 87 के अधीन या धारा 88 की उपधारा (7) तथा (8) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा पत्र मंजूर करना, न मंजूर करना।

H धारा 87 की उपधारा (1) (सी) एवं धारा 87 की उपधारा (1) (डी) के अधीन एक या अधिक जिला सीमा के अंर्तगत अस्थाई परमिट करना या न करना।

I धारा 88 (8) की उपधारा (1) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना या उक्त धारा की उपधारा (1) तथा (3) के अधीन शर्तो का जोडना या उनमें फेरफार करना।

J धारा 86 के अधीन अनुज्ञापत्र का निलम्बन करना या उक्त धारा की उपधारा (5) के अनुसार उसके धारक से शमन शुल्क धनराशि वसूल करना।

K मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 120 तथा 133 के अधीन अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्ति मंजूर करना, ना मंजूर करना, नियम 125 तथा नियम 134 के अधीन अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करना तथा नियम 127 के अधीन अनुज्ञप्ति निलम्बन करना या उसके निलम्बन के बदले में एक करार पाई गई धनराशि वसूल करना।

L मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (सीए) के अंतर्गत मार्गो के सूत्रीकरण एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा (9) के अंतर्गत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रकरणों को नोटशीट पर तैयार कर आरटीए के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश उपरान्त जारी करना।

02 **सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रायसेन, राजगढ, सीहोर, विदिशा (भोपाल संभाग), बैतुल, हरदा (नर्मदापुरम संभाग) को प्रत्यायोजन शक्तियां :–**

A धारा 74 के अंतर्गत आटो रिक्शा एवं स्कूल बसों के स्थाई/अस्थाई कान्टेक्ट कैरिज के परमिट/नवीनीकरण स्वीकृत करना या निरस्त करना।

B धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट सेवा यान का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

C धारा 79 के अधीन मालयान का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

D धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन मालयान का राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

E निजी सेवायान अनुज्ञापत्रों, मालयान अनुज्ञापत्रों एवं मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का धारा 81 के अधीन नवीनीकरण, धारा 82 के अंतगत अंतरण एवं धारा 83 के अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन किया जाना।

F धारा 87 की उपधारा (1) (सी) के अधीन जिला सीमान्तर्गत स्टेज कैरेज के अस्थाई परमिट स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

G यथास्थिति धारा 87 के अधीन या धारा 88 की उपधारा (7) तथा (8) के अधीन अस्थायी कान्ट्रेक्ट कैरेज अनुज्ञापत्र मंजूर करना, ना मंजूर करना।

H धारा 86 के अधीन अनुज्ञापत्र का निलम्बन करना या उक्त धारा की उपधारा (5) के अनुसार उसके धारक से शमन शुल्क की धनराशि वसूल करना।

I मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 120 तथा 133 के अधीन अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्ति मंजूर करना, ना मंजूर करना, नियम 125 तथा नियम 134 के अधीन अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करना तथा नियम 127 के अधीन अनुज्ञप्ति निलम्बन करना या उसके निलम्बन के बदले में एक करार पाई गई धनराशि वसूल करना।

उक्त संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दायित्वों का निर्वहन करते समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

19/6/23

(अरूण कुमार सिंह)
संभागीय उप परिवहन आयुक्त
एवं
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
भोपाल, नर्मदापुरम